झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक विविध याचिका सं0 1003 वर्ष 2022
----

1. संध्या चौधा उर्फ संध्या चोइदा उर्फ संध्या चौध, पत्नी श्री संतोष कुमार चौधा, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी रिंग रोड, केदारपुर, अम्बिकापुर, डाकखाना तथा थाना-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

2. राजीव चौधा उर्फ राजीव कुमार चौध पुत्र राजाराम चौधा, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी वार्ड सं0 16, मकान नं0 114, जूनापाड़ा रोड, बैकुण्ठपुरम्, डाकखाना तथा थाना बैकुण्ठपुरम्, जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़) .... याचिकाकर्तागण

बनाम

3. झारखण्ड राज्य

4. धरमवीर कुमार सिंह, पुत्र राम नरेश सिंह, निवासी गोधनपुर, वसुधंरा विहार कालोनी, अम्बिकापुर, डाकखाना-अम्बिकापुर, थाना-गांधीनगर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्तागण के लिए	:	श्री आर0एस0 मजुमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
		श्री निशांत अधिवक्ता
		सुश्री कुमारी रंजना सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	सुश्री अमृता कुमारी, अपर लोक अभियोजक
उत्तरदाता सं0 2 के लिए	:	श्री ए0के0 कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता
		सुश्री मौसमी चटर्जी, अधिवक्ता

निर्णय

मा0 श्री न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्तागण के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाने के बाद मामले के अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम फार्म से भिन्न याचिकाकर्तागण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु संज्ञान लिया गया है तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही का अभिखण्डन करने के अनुरोध के साथ धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते

हुए दाखिल किया गया है तथा उक्त मामला अभी विद्वान मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित हैं।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्तागण मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के भागीदार है जिसे पलामू जिला के अन्तर्गत जिनजोई सिचाई स्कीम के विस्तार, पुर्नस्थापन तथा आधुनिकीकरण के कार्य के निष्पादन हेतु निविदा दिया गया था। यह अभिकथित है कि यद्यपि उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के पास रू0 3,40,00,000/- के कार्य को पूरा करने का अनुभव प्रमाण-पत्र था लेकिन कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन खण्ड-। के कार्यालय द्वारा तात्पर्यित रूप से जारी उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र से प्रदर्शित होता है कि मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 ने रू0 18,40,00,000/- के कीमत का कार्य किया है, अतः यह अभिकथित है कि मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को उक्त निविदा में मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को भाग लेने के योग्य बनाने के लिए कूटरचना द्वारा इसे किया गया था तथा तत्पश्चात निविदा मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के पक्ष में दिया गया था तथा काम पूरा होने के बाद उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को पूरा भुगतान किया गया है। अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान यह मालुम हुआ कि इत्तिला देने वाला, उक्त निविदा में भाग लेने के लिए आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा जो वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्ता सं0 1 का पति है तथा उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के अन्य साझीदारों से मिलने गया था तथा मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के सुसंगत दस्तावेजों को आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा द्वारा इत्तिला देने वाले को पेन ड्राइव में सौंपा गया था तथा इत्तिला देने वाले ने याचिकाकर्तागण तथा सह-अभियुक्तगण को आलिप्त करने के आशय से आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा द्वारा स्वयं को दिये गये दस्तावेजों को बदल तथा अन्तर्वेषित कर दिया था तथा उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 द्वारा किये गये कार्य के धनराशि को रू0 3,40,00,000/- से रू0 18,40,00,000/- में बदल दिया था। पुलिस ने मामले के अन्वेषण के बाद अंतिम फार्म प्रस्तुत किया था तथा उक्त मामले के सहअभियुक्तगण तथा याचिकाकर्तागण को इनके विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में विचारण हेतु नहीं भेजा था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2022 द्वारा संप्रेक्षित किया है कि आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात् संतोष कुमार चौधा ने मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के

दस्तावेजों को सौपा था तथा वह मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 को आवंटित कार्य का लाभार्थी है तथा यह विचारण का विषय है कि जिसने दस्तावेज को गढ़ा है लेकिन अभियुक्तगण का आचरण आशंका पैदा करता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला मालुम करने के लिए आगे बढ़ा तथा वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्तागण के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया।

4. याचिकाकर्तागण के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर0 एस0 मजुमदार ने निवेदन किया है कि आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 का याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा उक्त मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 मे एक मात्र सक्रिय भागीदार है तथा वर्तमान आपराधिक विविध याचिका का याचिकाकर्ता सं0 1 अर्थात संध्या चौधा एकमात्र निष्क्रिय साझेदार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इत्तिला देने वाले ने आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा के विश्वास का लाभ उठाते हुए कुछ कागजातो का छल साधन करने के बाद आनलाइन निविदा प्रस्तुत किया था तथा स्वयं को कपटपूर्ण उक्त कंपनी के प्रबंधक के रूप मे प्रदर्शित किया था। इत्तिला देने वाले/परिवादी के अवैध क्रियाकलाप के कारण चूकि इत्तिला देने वाले/परिवादी ने मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 के भारी भरकम धनराशि का दुर्विनियोग किया है, कुछ आरंभिक कार्य के बाद इसे 30-06-2017 से काम से हटा दिया गया था। तत्पश्चात इत्तिला देने वाले ने रू 50,00,000/- के उद्दापन की माँग किया था। तत्पश्चात यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने मामले के अन्वेषण के बाद अन्तिम फार्म सं0 121 वर्ष 2020 दिनाँक 31-10-2020 पेश किया था तथा नोटिस दिये जाने के बाद इत्तिला देने वाला उपस्थित हुआ था तथा आगे के अन्वेषण हेतु दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के अधीन आवेदन दाखिल किया था जिसे भी आदेश दिनाँक 12-02-2021 द्वारा अनुज्ञात किया गया था लेकिन आगे के अन्वेषण के बाद पुलिस ने पुनः न केवल याचिकाकर्तागण तथा सह अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव का तर्क देते हुए बल्कि यह प्रज्ञापित करते हुए अनुपूरक अंतिम फार्म सं0 100 वर्ष 2021 पेश किया था कि इत्तिला देने वाले की संलिप्तता अन्र्तवेशन के अभिकथित कार्य में पाया गया है। तत्पश्चात इत्तिला देने वाला उपस्थित हुआ था तथा अभ्यापति याचिका दाखिल किया था। तत्पश्चात आदेश दिनाँक 31-01-2022 द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था तथा याचिकाकर्तागण एवं सह-अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया था।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्तागण के विरूद्ध अभिकथन अस्पष्ट है। न तो किसी व्यक्ति ने कहा है न ही अभिलेख मे कोई सामग्री है जिससे यह संकेत मिले कि याचिकाकर्तागण ने किसी दस्तावेज को कूटरचित किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी सम्पत्ति का परिदान करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ छल करने या किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने या किसी सम्पत्ति को देने के लिए किसी व्यक्ति को बेइमानी पूर्वक उत्प्रेरित करने के बारे मे याचिकाकर्तागण के विरूद्ध कोई अभिकथन नही है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध दोनो नही बनता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि किसी सामग्री के अभाव मे जिससे यह संकेत मिले कि याचिकाकर्तागण ने कोई मिथ्या दस्तावेज बनाया है या किसी मिथ्या दस्तावेज का उपयोग असली के रूप मे किया है, याचिकाकर्तागण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 या 468 या 471 के अधीन दण्डनीय अपराध नही बनता है। अतः यह निवेदन किया गया है कि जी0 आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध मे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनाँक 31-01-2022 तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलामू डालटनगंज के न्यायालय मे लंबित है को अभिखण्डित तथा अपास्त किया जाय।

6. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा उत्तरदाता सं0 2 के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दूसरी तरफ जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है को अभिखंडित तथा अपास्त करने के अनुरोध का जोरदार तरीके से विरोध किया है। उत्तरदाता सं0 2 के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस बात पर कोई विवाद नही है कि कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन खण्ड-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा जारी तात्पर्यित प्रमाण पत्र से प्रदर्शित होता है कि रजौटी अनिकत के संबंध में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन खण्ड-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, संविदा धनराशि रू0 1,840/- लाख थी तथा स्वीकार्यतः याचिकाकर्ता इस बात का भी खण्डन नहीं करता है कि मेसर्स एस0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर कं0 ने इस आशय के निविदा के साथ दस्तावेज पेश किया है कि इसने रू0 18,40,00,000/- का काम किया है। अतः संदेह के बिना पेज 35 पर रखे दस्तावेज की प्रति जो कार्यपालक अभियंता जल संसाधन खण्ड-I, अम्बिकापुर के कार्यालय द्वारा जारी तात्पर्यित अनुभव प्रमाण पत्र कूटरचित दस्तावेज है। तत्पश्चात यह निवेदन किया गयाहै कि चूँकि याचिकाकर्ता उक्त कार्य का लाभार्थी है, अतः एकमात्र उपधारणा से यह प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता ने कूटरचना किया है। तत्पश्चात यह

निवेदन किया गया है कि इसलिए, जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्टे्ट-प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2022 पारित करने में तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही में कोई अवैधता नही की गई है, जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी पलामू, डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है। अतः यह निवेदन किया गया है कि यह आपराधिक विविध याचिका सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

7. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तीनों साक्षीगण अर्थात अशोक कुमार यादव जिसका कथन केस डायरी के पैरा 140 में लेखबद्ध किया गया है, मोहम्मद अनवरी फिरदौसी जिसका कथन केस डायरी के पैरा 141 में लेखबद्ध किया गया है तथा मोहम्मद आलिम जिसका कथन केस डायरी के पैरा 142 में लेखबद्ध किया गया है ने एक स्वर में कहा है कि आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्तागण अर्थात संध्या चौधा तथा राजीव चौधा के साथ यह नही जानता था कि इत्तिला देने वाले ने निविदा प्रपत्र जमा करने के समय पर रू0 3,40,00,000/- के धनराशि को छलसाधित तथा बदला है जैसा अनुभव में उल्लिखित है तथा वर्तमान मामले में वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्तागण के साथ आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा को आलिप्त करने के लिए इसे रू0 18,40,00,000/- बनाया है। अतः यह सुस्पष्ट है कि अभिलेख में उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य से प्रदर्शित होता है कि इत्तिला देने वाले ने ही कूटरचना किया है। इसलिए, अभिलेख में पूर्णतया ऐसी सामग्री नही है जिससे यह संकेत मिले कि आपराधिक विधिक याचिका सं0 983 वर्ष 2022 के याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा या इस मामले में वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्तागण अर्थात संध्या चौधा एवं राजीव चौधा कूटरचना के अपराध को करने में या किसी कूटरचित दस्तावेज का उपयोग असली के रूप में करने में संलिप्त है क्योंकि सर्वसम्मति से इत्तिला देने वाले ने निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र के दस्तावेजों को जमा किया था तथा न तो आपराधिक विविध याचिका सं0 983 वर्ष 2022 का याचिकाकर्ता अर्थात संतोष कुमार चौधा न ही वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्तागण अर्थात संध्या चौधा तथा राजीव चौधा ने निविदा दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को पेश किया था।

8. जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध का संबंध है, किसी व्यक्ति के साथ छल करने या किसी सम्पत्ति को देने के लिए किसी व्यक्ति को बेईमानपूर्वक उत्प्रेरित करने या किसी बहुमूल्य प्रतिभूति के सम्पूर्ण या किसी भाग को बनाने या नष्ट करने के लिए इस आपराधिक विविध याचिका के याचिकाकर्तागण के विरूद्ध पूर्णतया कोई अभिकथन नही है तथा निर्विवादित रूप से, धनराशि जिसके लिए याचिकाकर्ता के कंपनी द्वारा

कार्य किया गया था सरकार के संबंधित विभाग द्वारा उक्त कम्पनी को संदत्त किया गया है, जिससे प्रदर्शित होता है कि कार्य को संतोषजनकपूर्वक पूरा किया गया था। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध नही बनता है। चूँकि याचिकाकर्तागण के विरूद्ध किसी सामग्री के अभाव में, विद्वान न्यायिक मजिस्टेªट-प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने हेतु एवं अन्य अभियुक्त व्यक्ति के साथ याचिकाकर्तागण के विरूद्ध अग्रसर होने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया है, अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 का उक्त मामले से उद्भुत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है विधि में संधार्य नही है तथा याचिकाकर्तागण के विरूद्ध इसे जारी रखना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा।

9. तद्नुसार, जी0आर0 सं0 485 वर्ष 2022 के अनुरूप पाटन थाना मामला सं0 38 वर्ष 2019 के सबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2022 तथा उक्त मामले से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू डालटनगंज के न्यायालय में लंबित है को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता हैं

10. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

11. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के निपटारे के दृष्टिगत, आदेश दिनांक 09.06.2022 द्वारा याचिकाकर्तागण को अनुदत्त अंतरिम अनुतोष को निष्प्रभावी किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 5 दिसम्बर, 2023
एएफआर/अनिमेश

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।